

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
संचिका संख्या-11/चक0-26(क)-05/2022

अधिसूचना

एस0ओ0 1115 दिनांक 10/10/2022 बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत मौजा कच्चुनाला, थाना नं0 106, अंचल-दिघलबैंक, जिला- किशनगंज इस अधिसूचना की तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित है, की समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के संयुक्त सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

एस0ओ0 1115 दिनांक 10/10/2022 / एस0ओ0
दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के संयुक्त सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

Government of Bihar
Revenue & Land Reforms Department
Directorate of Consolidation
Notification

File No. 12/चक0-यो0-5-01/2021

S.O 1115 Dated - 10/10/2022 In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in Mauja-Kachchunala, Thana no.-106, Anchal- Dighalbank, District- Kishanganj which is notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings.

By Order of the Governor of Bihar

Joint Secretary of Government

अधिसूचना संख्या-12/चक0-यो0-05-01/2021...1115...../चक0, दिनांक 10/10/2022
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (सी0डी0 सहित)/अवर सचिव,
गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र असाधारण अंक में
प्रकाशनार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या-12/चक0-यो0-05-01/2021...1115...../चक0, दिनांक 10/10/2022
प्रतिलिपि -अपर समाहर्ता-सह-उप निदेशक, चकबंदी किशनगंज/अंचलाधिकारी-सह-चकबंदी
पदाधिकारी, दिघलबैंक (किशनगंज) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव।